

न्यासी बोर्ड
राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक / एफ.3(2)आरपीएमएफ / 2015-16 /

दिनांक
26 DEC 2017

विज्ञप्ति

निदेशालय, पेंशन व पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, के अधीन राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना में निकट भविष्य में सम्भावित रिक्तियों के विरुद्ध निम्न पदों पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों/बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मियों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ.17(10)DOP/A-II/94 दिनांक 11.07.2017 के अनुसार पारिश्रमिक पर संविदा नियुक्ति के लिये पैन्ल तैयार किये जाने हेतु आवेदन-पत्र 31.01.2018 तक निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, आरपीएमएफ शाखा में कार्यालय समय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं:-

पद का नाम	पद संख्या	मासिक राशि	स्थिर	आवश्यक योग्यता
सहायक सचिव (प्रशासन)	1	कार्मिक के दिनांक 07.17 के अनुसार	विभाग परिपत्र 11. के	राज्य सेवा का सेवानिवृत्त अधिकारी, (ग्रेड-पे 6600) जिसे संस्थापन, लेखा, सूचना का अधिकार आदि का तीन वर्ष का अनुभव हो।
सहायक सचिव (विधि)	1	" "	" "	लीगल सर्विसेज से सेवानिवृत्त अधिकारी, जो सहायक विधि परामर्शी या उच्च पद से सेवानिवृत्त हुआ हो।
लेखाधिकारी	1	" "	" "	लेखा सेवा से सेवानिवृत्त लेखाधिकारी या उच्च पद से सेवानिवृत्त अधिकारी
सहायक लेखाधिकारी	1	" "	" "	कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार/मंत्रालयिक सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिसे लेखा, संस्थापन, विधिक आदि कार्यों का 3 वर्ष का अनुभव हो।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	" "	" "	ग्रेड-पे 2000 तक सेवानिवृत्त कर्मचारी

नोट:-

1. 65 वर्ष से अधिक के सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा आवेदन नहीं किया जावे। जिन सेवानिवृत्त कार्मिकों की आयु 63 वर्ष से कम होगी उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी।
2. प्राप्त आवेदनों में से अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। साक्षात्कार हेतु आने वाले अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
3. साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थी को उपस्थिति देने से पूर्व सेवा शर्तों से संबंधित अनुबन्ध-पत्र भरकर देना होगा तथा कोई पुलिस कार्यवाही नहीं होने संबंधी शपथ-पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर देना होगा।

Sd/-

निदेशक, पेंशन एवं सदस्य सचिव,
रा.रा.पे.चि.रि.यो., न्यासी बोर्ड, जयपुर

क्रमांक/एफ.3(2)आरपीएमएफ/15-16/ 4175
प्रतिलिपि:-

दिनांक 26 DEC 2017

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि संलग्न विज्ञप्ति की प्रति वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावे।
2. निदेशक (तकनीकी), एन.आई.सी, पेंशन विभाग को भेजकर लेख है कि संलग्न विज्ञप्ति की प्रति पेंशन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावे।
3. नोटिस बोर्ड, वित्त भवन एवं पेंशन विभाग

Sd/-

निदेशक, पेंशन एवं सदस्य सचिव,
रा.रा.पे.चि.रि.यो., न्यासी बोर्ड, जयपुर